eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 05, May 2026

सुशासन और पारदर्शिताः भारतीय संदर्भ में

विवेक सिंह[1]
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, भारतीय महाविद्यालय फर्रुखाबाद, उ0प्र0

Received: 22 May 2026 Accepted & Reviewed: 25 May 2026, Published: 31 May 2026

Abstract

एक आदर्श और न्याय पूर्ण राज्य व्यवस्था की खोज मानव सभ्यता के आरंभ से ही रही है। प्राचीन यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तू ने इसके लिए प्रयास किया। वहीं प्राचीन भारत में मनु और कौटिल्य ने भी एक आदर्श राज्य व्यवस्था की खोज का अपना प्रयास किया। पूरी दुनिया में शासन और जनता के बीच किस प्रकार न्याय पूर्ण संबंध स्थापित किए जाएं जिससे जनता संतुष्ट हो सके और सत्ता व सरकार के प्रति उसकी निष्ठा और विश्वास बना रहे। आज की आधुनिक और लोकतांत्रिक युग में जब शासन सत्ता में जनता की भागीदारी अत्यधिक बढ़ गई है या यों कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन का संचालन जनता के द्वारा ही किया जाता है। जनता के द्वारा ही सत्ता पर नियंत्रण रखा जाता है। तब ऐसी स्थिति में शासन और प्रशासन का न्याय पूर्ण होना और जनता के प्रति जवाबदेह होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की चाभी जनता के हाथ में होती है। जनता जब चाहे तब किसी भी पार्टी की सरकार को सत्ता से हटा सकती है। इसलिए सुशासन और पारदर्शिता लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए अनिवार्य शर्त हो जाती है। भारत एक विविधतापूर्ण और लोकतांत्रिक विशाल देश है।जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की वजह से भारत एक जटिल लोकतंत्र वाला देश बन जाता है। ऐसे जटिल लोकतंत्र वाले देश में सुशासन और पारदर्शिता अपने में स्वयं एक चुनौती बन जाती है। सुशासन से तात्पर्य ऐसे शासन व प्रशासन से है जिसमें शासन और प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदाई जवाबदेह, पारदर्शी और जनहितकारी हो। पारदर्शिता सुशासन की नींव है, क्योंकि बिना पारदर्शिता के भ्रष्टाचार और पक्षपात रहित शासन प्रशासन नहीं दिया जा सकता है। पारदर्शिता के अभाव में भ्रष्टाचार पक्षपात और जन असंतोष बढ़ता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्रांति अथवा राज्य के स्थायित्व के लिए खतरा उत्पन्न होता है।

मुख्य शब्द– लोकतांत्रिक शासन, सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तरदायित्व और आदर्श राज्य व्यवस्था।

Introduction

वर्तमान युग में लोकतांत्रिक देशों की स्थिरता और विकास का आधार सुशासन और पारदर्शिता (Transparency) है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, जहाँ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधताएँ प्रचुर मात्रा में हैं, सुशासन और पारदर्शिता केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और विकास की अनिवार्य शर्त हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त लोकतांत्रिक अधिकार, लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं का निर्माण, तथा डिजिटल इंडिया जैसे सरकारी प्रयास इस दिशा में प्रयासरत हैं। सुशासन केवल भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन नहीं है, बल्कि यह नीतियों और निर्णयों में न्याय, जवाबदेही, नागरिक सहभागिता और दक्षता सुनिश्चित करता है। पारदर्शिता का अर्थ है कि सरकारी नीतियों, निर्णयों और संसाधनों के प्रयोग में नागरिकों को पूर्ण जानकारी और नियंत्रण मिले।आज के वैश्विक युग में जहां लोकतांत्रिक मूल्य, मानवाधिकार, समानता और न्याय की अवधारणाएँ विश्वभर में मजबूत हो रही हैं,

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 05, May 2026

वहीं शासन प्रणाली को पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित होना आवश्यक है। भारत में संविधान निर्माताओं ने भी प्रशासन को जनता के लिए उत्तरदायी और लोक कल्याणकारी बनाने का सपना देखा था। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य का सबसे प्रमुख कर्तव्य होता है कि वह जनता के कल्याण के लिए काम करे। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य जनता के हित में तभी काम कर सकता है जब उसकी कार्य प्रणाली सुशासन के आधार पर स्थापित हो। एक अवधारणा के रूप में सुशासन का अर्थ केवल कानून–व्यवस्था बनाए रखना या प्रशासनिक कार्य करना नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना, विकास योजनाओं का सही क्रियान्वयन करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। भारत में सुशासन और पारदर्शिता के कानूनी और संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14, 19 और 21 नागरिकों के अधिकारों का आधार हैं। न्यायपालिका और विधायिका सरकारी कार्यों पर निगरानी सुनिश्चित करती हैं।

विश्व बैंक के अनुसार सुशासन के आठ प्रमुख तत्व -

1. सहभागिता – सहभागिता का अर्थ है शासन की प्रक्रियाओं में जनता की सक्रिय भागीदारी। लोकतंत्र में नागरिक केवल मतदाता नहीं, बल्कि नीति निर्माण के सह–निर्माता होते हैं। ग्राम सभाएँ, पंचायत राज संस्थाएँ, और सिविल सोसाइटी संगठनों की भूमिका इस दिशा में महत्त्वपूर्ण है। भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1992) के माध्यम से ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त किया गया, जिससे निर्णय लेने में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित हुई।

2. कानून का शासन – कानून का शासन सुशासन का आधारभूत सिद्धांत है। इसका तात्पर्य यह है, कि सभी व्यक्ति चाहे वह नागरिक हों या शासक कानून के अधीन समान हैं। भारत में संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 14 "कानून के समक्ष समानता" को सुनिश्चित करता है। कानूनी ढाँचा जितना मजबूत और निष्पक्ष होगा, उतना ही शासन में न्याय और स्थायित्व होगा। निष्पक्ष न्यायपालिका और प्रभावी विधि–व्यवस्था कानून के शासन के मूल आधार हैं।

3. पारदर्शिता – पारदर्शिता का तात्पर्य है कि शासन और प्रशासन की सभी गतिविधियाँ स्पष्ट, खुली और जनता के लिए सुलभ हों। यह शासन की विश्वसनीयता का पैमाना है। पारदर्शी शासन में नागरिक जान सकते हैं कि नीतियाँ कैसे बन रही हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, और सरकारी व्यय कहाँ हो रहा है।

पारदर्शिता के प्रमुख बिंदुः

- निर्णय लेने की प्रक्रिया स्पष्ट हो।
- योजनाओं और नीतियों की जानकारी समय पर उपलब्ध हो।
- सरकारी व्यय और कामकाज पर जनता की निगरानी हो सके।

भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act), 2005 पारदर्शिता स्थापित करने का सबसे प्रभावी उपकरण बना। इस कानून ने नागरिकों को सरकारी सूचनाएँ प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार दिया, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई और जनता का शासन पर विश्वास बढ़ा।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 05, May 2026

4. उत्तरदायित्व – उत्तरदायित्व का अर्थ है, कि सरकार और प्रशासन नागरिकों की आवश्यकताओं और समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। शासन की यह जिम्मेदारी होती है, कि वह शिकायतों का निवारण समयबद्ध रूप से करे। भारत में "सेवा अधिकार अधिनियम" और "नागरिक चार्टर" जैसी पहलें इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं, जिनके माध्यम से नागरिकों को निर्धारित समय सीमा में सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार मिला।

5. सर्वसम्मति उन्मुखता – सुशासन का उद्देश्य केवल निर्णय लेना नहीं, बल्कि ऐसा निर्णय लेना है जो समाज के विभिन्न वर्गों के हितों का संतुलन बनाए। भारत जैसे बहुभाषी, बहुजातीय देश में नीतियों का निर्माण सर्वसम्मति से करना आवश्यक है। संवैधानिक संस्थाएँ जैसे संसद और राज्य विधानसभाएँ विभिन्न दृष्टिकोणों को मिलाकर सामूहिक सहमति बनाने का मंच प्रदान करती हैं। यही लोकतंत्र की आत्मा है।

6. समानता और समावेशन – सुशासन तभी सार्थक है, जब समाज का कोई भी वर्ग विकास की धारा से वंचित न रहे। भारत में आर्थिक असमानता, जातिवाद और लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याएँ शासन की समावेशिता को चुनौती देती हैं। सरकार ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण, शिक्षा और आर्थिक योजनाओं के माध्यम से समावेशी विकास की दिशा में कदम उठाए हैं।

7. प्रभावशीलता और दक्षता – शासन का उद्देश्य केवल नीतियाँ बनाना नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना है। प्रभावशीलता का अर्थ है कि नीति अपने उद्देश्यों को पूरा करे, और दक्षता का अर्थ है कि संसाधनों का उपयोग न्यूनतम लागत और अधिकतम परिणाम के साथ हो।

ई–गवर्नेंस, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम शासन को प्रभावी और कुशल बनाने के उदाहरण हैं।

8. जवाबदेही – जवाबदेही का तात्पर्य है, कि शासक और अधिकारी अपने निर्णयों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी हों। लोकतांत्रिक शासन में प्रत्येक संस्था कृ सरकार, संसद, न्यायपालिका, और मीडिया कृ अपनी–अपनी जिम्मेदारी के प्रति जवाबदेह होती है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम (2013) तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) जैसी संस्थाएँ जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं।

भारत में सुशासन और पारदर्शिता की चुनौतियाँ एवं समाधान - भारत एक विशाल, विविधतापूर्ण और लोकतांत्रिक देश है, जहाँ शासन की सफलता केवल सत्ता परिवर्तन से नहीं, बल्कि शासन की गुणवत्ता से मापी जाती है। सुशासन (Good Governance) और पारदर्शिता (Transparency) भारतीय लोकतंत्र की आत्मा हैं। सुशासन का अर्थ है, ऐसा प्रशासन जो उत्तरदायी, जवाबदेह, न्यायपूर्ण और नागरिक–हितैषी हो। वहीं पारदर्शिता का तात्पर्य है, शासन की कार्यप्रणाली और निर्णय जनता के लिए खुले और सुलभ हों। हालाँकि, भारत जैसे जटिल लोकतंत्र में सुशासन और पारदर्शिता को व्यवहार में लाना आसान नहीं है। सामाजिक विविधता, प्रशासनिक जटिलता, और राजनीतिक स्वार्थ के कारण शासन की कार्यकुशलता और पारदर्शिता दोनों प्रभावित होती हैं।

(1) भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी – भ्रष्टाचार भारत में सुशासन की सबसे बड़ी बाधा है। यह उच्च और निम्न दोनों स्तरों पर व्याप्त है। रिश्वत, पक्षपात और अनियमितता के कारण योजनाओं की धनराशि लक्ष्य तक

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 05, May 2026

नहीं पहुँच पाती। पारदर्शिता के अभाव में भ्रष्टाचार को रोकना कठिन हो जाता है। उदाहरणः ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्टों में भारत का स्थान कई बार मध्यम या निम्न श्रेणी में आया है, जो बताता है कि शासन में ईमानदारी और पारदर्शिता को अभी और मजबूत करने की आवश्यकता है।

(2) नौकरशाही की जटिलता – भारतीय प्रशासनिक ढाँचा अत्यधिक लंबा और प्रक्रिया–प्रधान है। फाइलों की मंजूरी में देरी, अनावश्यक औपचारिकताएँ, और नियमों की जटिलता जनता के विश्वास को कमजोर करती हैं। इस कारण योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता और नागरिकों में असंतोष बढ़ता है।

(3) साक्षरता और जागरूकता की कमी – सुशासन तभी प्रभावी होता है, जब नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों। भारत में आज भी ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में सूचना तक पहुँच सीमित है। बहुत से नागरिक सूचना का अधिकार अधिनियम या सरकारी योजनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते। इससे पारदर्शिता के प्रयासों की प्रभावशीलता कम हो जाती है।

(4) राजनीतिक हस्तक्षेप – कई बार प्रशासनिक निर्णयों पर राजनीतिक दबाव रहता है। नीति निर्माण और कार्यान्वयन में राजनीति के हस्तक्षेप से पारदर्शिता प्रभावित होती है और योजनाएँ पक्षपातपूर्ण हो जाती हैं। इससे जनता का शासन पर विश्वास डगमगाने लगता है।

(5) सूचना तक पहुँच में बाधाएँ – त्ज् अधिनियम, 2005 ने नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार दिया है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में अनेक कमियाँ हैं। कई विभाग सूचना देने में देरी करते हैं या अधूरी जानकारी प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना की कमी भी सूचना की पहुँच में बाधा बनती है।

(6) नीतियों और योजनाओं का कमजोर क्रियान्वयन – भारत में नीतियाँ और योजनाएँ तो उत्कृष्ट बनती हैं, पर उनका सही क्रियान्वयन अक्सर नहीं हो पाता। निगरानी की कमी, संसाधनों का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार योजनाओं की प्रभावशीलता को घटाते हैं।

(7) सामाजिक–सांस्कृतिक – भारत की सामाजिक संरचना में जातिवाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता जैसे तत्व शासन की निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं। ये प्रवृत्तियाँ प्रशासनिक पारदर्शिता और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हैं।

सुशासन और पारदर्शिता को सशक्त करने हेतु सरकारी पहलें - भारत सरकार और राज्य सरकारों ने शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अनेक सुधार किए हैं।

(1) **ई–गवर्नेंस** – डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी सेवाएँ नागरिकों तक सीधे पहुँचना सुशासन की दिशा में बड़ा कदम है। उदाहरणः आधार, डिजिलॉकर, ई–तेंदरिंग, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली, और सीसीटीवी निगरानी। इनसे समय, धन और श्रम की बचत होती है तथा भ्रष्टाचार की संभावना घटती है।

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 – इस अधिनियम ने नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुँच का अधिकार दिया। यह पारदर्शिता का सबसे सशक्त उपकरण है, जिसने सरकारी जवाबदेही को बढ़ाया है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 05, May 2026

(3) लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना – उच्च पदस्थ अधिकारियों और राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच हेतु लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाएँ स्थापित की गई हैं।

(4) नागरिक चार्टर – यह दस्तावेज सरकारी सेवाओं के समयबद्ध वितरण की गारंटी देता है। इससे नागरिकों को पता रहता है, कि कौन सी सेवा कितने समय में प्राप्त होगी।

(5) सोशल ऑडिट – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREG।) जैसी योजनाओं में सामाजिक ऑडिट पारदर्शिता का प्रभावी माध्यम साबित हुआ है। जनता स्वयं सरकारी खर्च और कार्यों की निगरानी करती है।

(6) डिजिटल इंडिया अभियानः – सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना, ऑनलाइन पारदर्शी डेटा उपलब्ध कराना, और नागरिकों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना इस अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं।

(7) सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी का उपयोगः – डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से सरकारी सहायता सीधे नागरिकों के खातों में पहुँचती है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई और पारदर्शिता बढ़ी।

नागरिकों की भूमिका- सुशासन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं हैय नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। नागरिक यदि अपने कर्तव्यों का पालन करें और सक्रिय भागीदारी दिखाएँ, तो शासन की पारदर्शिता स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी।

- करों का ईमानदारी से भुगतान करना।
- मतदान में भाग लेना।
- भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना।
- सूचना के अधिकार का उपयोग करना।
- सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना और जनहित कार्यों में सहयोग करना।

भारत में सुशासन की आवश्यकता और महत्व- भारत एक लोकतांत्रिक, विविधतापूर्ण और विकासशील राष्ट्र है, जहाँ शासन की सफलता केवल सत्ता परिवर्तन से नहीं, बल्कि शासन की गुणवत्ता से मापी जाती है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों का विश्वास तभी बना रह सकता है जब शासन पारदर्शी, उत्तरदायी, और न्यायपूर्ण हो। यही स्थिति सुशासन (Good Governance) की पहचान है।सुशासन का तात्पर्य केवल प्रशासनिक कार्यकुशलता से नहीं है, बल्कि यह शासन प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही, न्याय और जनसहभागिता को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ सामाजिक और आर्थिक विषमताएँ व्यापक हैं, सुशासन की आवश्यकता और भी अधिक महसूस की जाती है।

भारत में सुशासन की आवश्यकता-

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 05, May 2026

1. विकास की गति – भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास की गति भ्रष्टाचार, कुप्रशासन और नीति–निर्माण की जटिलताओं से प्रभावित होती रही है। जब शासन पारदर्शी और जवाबदेह होता है, तब योजनाओं का सही क्रियान्वयन होता है और विकास की प्रक्रिया तेज होती है। सुशासन यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी संसाधनों का उपयोग जनहित में और ईमानदारी से हो, जिससे सतत विकास (Sustainable Development) को बल मिले।

2. लोकतंत्र की मजबूती – लोकतंत्र की सफलता का आधार जनता का विश्वास है। यदि शासन पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील है तो नागरिक शासन में अपनी भागीदारी को सार्थक मानते हैं। पारदर्शी शासन प्रणाली भ्रष्टाचार को कम करती है, राजनीतिक स्थिरता लाती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बढ़ाती है। उदाहरणः सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), ई–गवर्नेंस और नागरिक चार्टर जैसी पहलें लोकतंत्र की जड़ों को सशक्त कर रही हैं, जिससे जनता सीधे शासन की प्रक्रियाओं में भागीदार बन रही है।

3. सामाजिक न्याय और समावेशन – भारत एक सामाजिक विविधता वाला देश है, जहाँ अनेक वर्ग, जातियाँ और समुदाय रहते हैं। सुशासन का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि समाज के कमजोर, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना भी है। एक समावेशी शासन प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि समाज का कोई भी वर्ग विकास की धारा से बाहर न रह जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में समान अवसर सुशासन के माध्यम से ही संभव हैं।

4. अंतर्राष्ट्रीय छवि और निवेश – वैश्विक स्तर पर किसी भी देश की छवि उसके शासन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। सुशासन अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने, विदेशी संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक विश्वास अर्जित करने में अहम भूमिका निभाता है।जब किसी देश में पारदर्शी प्रशासन, मजबूत कानूनी ढाँचा और उत्तरदायित्व की संस्कृति होती है, तो विदेशी निवेशक वहाँ व्यापार करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार, सुशासन भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है।

सुशासन और पारदर्शिता का आपसी संबंध- सुशासन और पारदर्शिता एक–दूसरे के पूरक हैं। जहाँ सुशासन है, वहाँ पारदर्शिता स्वाभाविक रूप से होती है, और जहाँ पारदर्शिता है, वहाँ जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित होता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में पारदर्शिता जनता और सरकार के बीच विश्वास का पुल है। जब शासन के निर्णय, नीतियाँ और खर्चे जनता के समक्ष खुले रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो नागरिकों में विश्वास और निष्ठा की भावना विकसित होती है।

निष्कर्ष- भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र में सुशासन और पारदर्शिता शासन की सफलता के मूल स्तंभ हैं। सुशासन का अर्थ केवल प्रशासनिक दक्षता से नहीं, बल्कि नागरिक केंद्रित, न्यायपूर्ण, जवाबदेह और सहभागी शासन से है। वहीं पारदर्शिता यह सुनिश्चित करती है कि सरकार की नीतियाँ, निर्णय और संसाधनों का उपयोग जनता के सामने खुला और स्पष्ट रहे। आधुनिक लोकतंत्र में नागरिक तभी शासन पर विश्वास करते हैं जब निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष, भ्रष्टाचार रहित और जवाबदेह हो। भारत में सुशासन और पारदर्शिता को सशक्त करने के लिए संविधानिक प्रावधान, RTI अधिनियम, ई–गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, लोकपाल– लोकायुक्त, नागरिक चार्टर और सामाजिक ऑडिट जैसी पहलें प्रभावी साबित

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 05, May 2026

हो रही हैं। इन पहलों ने न केवल भ्रष्टाचार को कम करने में मदद की है, बल्कि शासन की दक्षता और पहुँच को भी बढ़ाया है। फिर भी भ्रष्टाचार, नौकरशाही की जटिलता, राजनीतिक हस्तक्षेप और जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियाँ पूर्ण सुशासन के मार्ग में बाधक हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, तकनीकी नवाचार, मजबूत निगरानी तंत्र और उत्तरदायी प्रशासन आवश्यक हैं। अतः सुशासन और पारदर्शिता न केवल विकास की आवश्यकता हैं, बल्कि एक सशक्त, विश्वसनीय और जनोन्मुख लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त भी हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

1 - भारत सरकार (2008) - द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट संख्या 4: "शासन में नैतिकता"।

2 - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (न्छक्च) (1997) - मानव विकास के लिए शासन : एक नीति पत्र :।

3 - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियम, जो शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

4 - लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 - भारत सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण और जवाबदेही के लिए स्थापित विधेयक।

5 - सद्शासन सूचकांक, 2019 एवं 2021 - प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट।

6 - डिजिटल इंडिया कार्यक्रम - इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ, जिसका उद्देश्य ई–गवर्नेंस और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

7 - भारतीय प्रशासनिक व्यवहार पाठ्य सामग्री, इकाई: "भारतीय प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व"।

8 - द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट (2009) - "ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देना : स्मार्ट मार्ग आगे की ओर"।.